"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 625] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2020 — अग्रहायण 19, शक 1942

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–122/2010/29–1(पार्ट–1).— विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 क सं. 1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, के केन्द्र सरकार से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप–धारा (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थातः–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

(1) नियम 11 के, उप–नियम 4 में, शब्द " दो वर्षो " के स्थान पर, शब्द " पांच वर्षो " प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) अनुसूची–चार के सरल क्रमांक 1 की प्रविष्टि (एक), (दो) एवं (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(एक)	विनिर्माता	रू. 5000
(दो)	सुधारक	रू. 2000
(तीन)	विक्रेता	रू. 1000 "

(3) अनुसूची–छः के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

" अनुसूची–छः"
[नियम 11(8)देखिये]
छत्तीसगढ़ शासन
कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान
अनुज्ञप्ति प्राप्त सुधारक द्वारा जमा की जाने वाली सुरक्षा निधि

बाट तथा माप जिसमें तौल तथा माप उपकरण शामिल है, के सुधारक रू. 5000"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 7th December 2020

NOTIFICATION

No. F 10-122/2010/29-1(part-1).— In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010), after consultation with the Central Government, The State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, the same having been previously published as required by sub-section (4) of Section 53 of the said Act, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In sub-rule (4), of rule 11, for the words "two years", the words "'five years" shall be substituted.
2. For serial number (i), (ii) and (iii), of Schedule-IV, the following shall be substituted, namely:-

"(i)	Manufacturer	Rs 5000
(ii)	Repairers	Rs 2000
(iii)	Dealers	Rs 1000"

3. For SCHEDULE-VI, the following shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-VI
[See rule 11(8)]

Government of Chhattisgarh
Office of Controller of Legal Metrology
Security deposit to be made by licensee repairer

Repairer of weights and measures including weighing and measuring instruments.	Rs.5000.00"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.